तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म में नाफ़िज़
07.07.2023	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 2 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाबत अपील निरस्त करवाने एवं संगत रिकार्ड का अवलोकन किया। दौराने बहस वकिल रेस्पोडेन्ट सं0 2 प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.12.2014 की अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दिनांक 18.12.2015 को निर्णित की जा चुकी है जिसकी अपील राजस्व मण्डल अजमेर की जाने पर पत्रावली पुनः इस न्यायालय को प्राप्त होने पर अपील दिनांक 10.06.2020 को रेस्पोडेट द्वारा कोई कार्यवाही नही चाहने एवं अपीलाट की मृत्यु हो जाने से (नही चलाने) से निरस्त की जाने का निर्णय हुआ। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 17.12.2014 की पुनः अपील अन्य अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत की गई है जो रेसज्यूडिकेटा के कारण चलने योग्य नहीं है। अपीलार्थी यदि प्रकरण में कोई अनुतोष चाहते है तो वे इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.06.2020 की अपील करने के लिये स्वतंत्र है। प्रस्तुत अपील अपीलांटगण निरस्त फरमाई जावें। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दावे के विचारण के दौरान गंगाराम द्वारा दिनांक 24.04.2013 को रजिस्टर्ड दान-पत्र के माध्यम से ग्राम कहारा-ए की वादग्रस्त आराजीयात में से खसरा नम्बर 78 से 80, 83, 101, 102 व 105 अपीलांटगण को दान कर दी। वादपत्र दिनांक 17.12.2014 को डिक्री किया गया। उक्त निर्णय की अपील इस न्यायालय में होने पर अपील संख्या डिक्री 20/2015 दर्ज की जाकर दिनांक 18.12.2015 को निर्णित की गई जिसमें वर्तमान में प्रस्तुत अपील के अपीलांटगण पक्षकार नहीं थे जिससे सुनवाई का अवसर नही मिला। पूर्व में प्रस्तुत अपील के निर्णय दिनांक 18.12.2015 की अपील राजस्व मण्डल अजमेर की जाने पर पत्रावली रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर पुनः इस न्यायालय में दिनांक 04.03.2020 को दर्ज की गई। तत्कालीन अपीलांट गंगाराम की मृत्यु हो जाने पर उनके पुत्र-पुत्रियों रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 ने अपील आगे नही चलाने का निवेदन करते हुए अपील विड्रो कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री को बहाल करवा कर अन्तिम डिक्री जारी करवा ली जिसमें भी वर्तमान अपील के अपीलांट पक्षकार नहीं थे। रजिस्टर्ड दानपत्र को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गई। अन्त में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.12.2014 की अपील में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2015 को एवं राजस्व मण्डल से रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर दिनांक 10.06.2020 को अन्तिम निर्णय हो चुका है जिसकी अपील नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.12.2014 के विरुद्ध इस न्यायालय में पुनः प्रस्तुत अपील चलने योग्य नहीं है। हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर विधिक रूप से मनन किया। हस्तगत अपील की पत्रावली एवं इस न्यायालय में पूर्व में प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 20/2015 की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र में प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 17.12.2014 को पारित किये गये। उक्त	

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़

दिनांक	कार्यवाही विवरण	तामील
	निर्णय की प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर अपील संख्या डिक्री 20/2015 दर्ज की जाकर दिनांक 18.12.2015 को निर्णित की गई। उक्त अपील के निर्णय दिनांक 18.12.2015 की द्वितीय अपील राजस्व मण्डल अजमेर की जाने पर पत्रावली रिमाण्ड होकर पुनः इस न्यायालय में दिनांक 04.03.2020 को दर्ज की गई। तत्कालीन अपीलांट गंगाराम की मृत्यु हो जाने पर उनके पुत्र–पुत्रियों रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 ने अपील आगे नही चलाने का निवेदन करते हुए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अपील निरस्त किये जाने का निवेदन करने पर दिनांक 10.06.2020 को अपील निरस्त की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 17.12.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2015 को निर्णित की गई एवं रिमाण्ड से पत्रावली पुनः इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दिनांक 10.06.2020 को पुनः निर्णित करते हुये निरस्त की गई। अब अपीलांटगण द्वारा धारा 96 जा0दी0 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुये अधीनस्थ न्यायालय के उन्हीं प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 17.12.2014 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। आवेदन पत्र के पक्ष में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है। केवल दिनांक 24.04.2013 को अपीलांटगण के पक्ष में गंगाराम द्वारा अपने जीवनकाल में रजिस्टर्ड दानपत्र निष्पादित करवाया जाना अंकित किया है। उक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि यदि अपीलांटगण के पक्ष में वादग्रस्त आराजीयात में से कुछ आराजीयात पूर्व खातेदार गंगाराम द्वारा पंजीकृत दानपत्र से दान की गई है तो वे सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेंट संख्या 2 प्रार्थी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 स्वीकार योग्य है। परिणामतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अपील अपीलांटगण इस न्यायालय में पुनः चलने योग्य नहीं पाई जाने से निरस्त की जाती है। 07/07/2023 (गितेश श्री मालवीय) राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़	